

‘मृत्युपूर्व घोषणा’ और संबंधित नयिम

प्रलिस के लयि

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मृत्युपूर्व घोषणा

मेन्स के लयि

मृत्युपूर्व घोषणा: महत्त्व और संबंधित ववाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो’** (CBI) की एक विशेष अदालत ने हत्या के एक आरोपी की हरिसत में मौत के लयि दो पुलसिकर्मियों को उमरकैद की सज़ा सुनाई, जो कापीडति द्वारा की गई ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ पर आधारित है।

- **‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो’** (CBI) भारत की प्रमुख जाँच एजेंसी है। यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शकियत मंत्रालय के कार्मिक वभाग [जो प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अंतर्गत आता है] के अधीक्षण में कार्य करता है।

प्रमुख बडि

‘मृत्युपूर्व घोषणा’ का आशय

- भारतीय साक्ष्य अधनियम, 1872 की धारा-32(1) ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ को मृत व्यक्ता द्वारा दयि गए प्रासंगिक तथ्यों के लखिति या मौखिक बयान के रूप में परिभाषित करती है। यह उस व्यक्ता का कथन होता है जो अपनी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में बताते हुए मर गया था।
 - यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक व्यक्ता झूठ के साथ अपने सृजनकर्ता के समक्ष नहीं जा सकता।
- अधनियम की धारा 60 के तहत सामान्य नयिम यह है कि सभी मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहयि यानी पीडति ने इसे सुना, देखा या महसूस कयि हो।

‘मृत्युपूर्व घोषणा’ संबंधी नयिम

- ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ को मुख्यतः दो व्यापक नयिमों के आधार पर स्वीकृति दी जा सकती है:
 - जब पीडति प्रायः अपराध का एकमात्र प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य हो।
 - ‘आसन मृत्यु का बोध’, जो न्यायालय में शपथ दायतव के समान ही होता है।

‘मृत्युपूर्व घोषणा’ की रकिॉरडगि:

- कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ता मृतक का मृत्युपूर्व बयान दर्ज कर सकता है। हालाँकि न्यायिक या कार्याकारी मजस्ट्रेट द्वारा दर्ज कयि गया मृत्युकालीन बयान अभियोजन मामले में अतिरिक्त शक्ता प्रदान करेगा।
 - ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ कई मामलों में "घटना की उत्पत्ता को साबित करने के लयि साक्ष्य का प्राथमिक हिस्सा" हो सकती है।
- इस तरह की घोषणा के लयि अदालत में पूरी तरह से जवाबदेह होने की एकमात्र आवश्यकता पीडति के लयि स्वेच्छा से बयान देना और उसकी मानसिक स्थितिका स्वस्थ होना है।
 - मृत्यु से पहले की गई घोषणा को दर्ज करने वाले व्यक्ता को इस बात से संतुष्ट होना चाहयि कापीडति की मानसिक स्थिति ठीक है।

ऐसी स्थितियों जहाँ न्यायालय इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है:

- हालाँकि ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ अधिक प्रभावकारी होती है क्योंकि आरोपी के पास जरिह की कोई गुंजाइस नहीं होती है।
 - यही कारण है कि अदालतों ने सदैव इस बात पर ज़ोर दयि है कि ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ इस तरह की होनी चाहयि कि अदालत को इसकी सत्यता पर

पूरा भरोसा हो।

- अदालतें इस बात की जाँच करने के मामले में सतर्क होती हैं कर्मृतक का बयान किसी प्रोत्साहन या कल्पना का उत्पाद तो नहीं है।

पुष्टि की आवश्यकता (सबूत के समर्थन में):

- कई नरिण्यों में यह उल्लेख किया गया है कथिह न तो कानून का नयिम है और न ही वविक का, कर्मृत्यु से पहले की घोषणा की बनिा पुष्टिकियि काररवाई नहीं की जा सकती है।
 - यदनियायालय इस बात से संतुष्ट है कर्मृत्युपूरव घोषणा सत्य और स्वैच्छिकि है तो बनिा पुष्टिकिे उस आधार पर दोषसदिध किया जा सकता है।
- जहाँ मृत्युपूरव घोषणापत्र संदेहास्पद हो, उस पर बनिा पुष्ट साक्ष्य के काररवाई नहीं की जानी चाहिये क्यौंकर्मृत्युपूरव घोषणा में घटना के बारे में वविरण नहीं होता है।
 - इसे केवल इसलिये खारजि नहीं किया जाना चाहिये क्यौंकथिह एक संक्षपित कथन है। इसके वपिरीत कथन की संक्षपितता ही सत्य की गारंटी देती है।

चकितिसकीय राय की वैधता:

- आमतौर पर अदालत इस बात की संतुष्टिकिे लयि चकितिसकीय राय ले सकती है ककिया वयक्तमृत्युकालीन घोषणा करने के समय स्वस्थ मानसकि स्थतिमें था।
- लेकनि जहाँ चश्मदीद गवाह के कथन के अनुसार वयक्तने मौत से पहले घोषणा मानसकि रूप से स्वस्थ और सचेत अवस्था में की है, वहाँ चकितिसकीय राय मान्य नहीं हो सकती।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/dying-declaration>

